भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेटेड मिशन

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013 जयपुर, दिनांकः 15 नवम्बर, 2022

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 21–सरदारशहर जिला चुरू के उप चुनाव, 2022 के लिये दिनांक 05.12.2022 को मतदान एवं दिनांक 08.12.2022 को मतगणना करवाये जाने का निर्णय लिया है।

अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 21–सरदारशहर जिला चुरू एवं इस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के 03 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाले 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 को मतदान समाप्ति तक अर्थात सायंकाल 05.00 बजे तक एवं मतगणना दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को जिला मुख्यालय की नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र में तथा पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को पुर्नमतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्र में सायं 5.00 बजे** तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22) निर्वा./2018/9613 दिनांक 11.11.2022 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, चुरू।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, बीकानेर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, चुरू।
11. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त शासन सचिव